अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority

सं. 398, पोर्ट ब्लेयर, सोमवार, 19 नवम्बर, 2018
No. 398, Port Blair, Monday, Novemeber 19, 2018

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
उद्योग निदेशालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर दिनांक 19 नवम्बर, 2018

अण्डमान तथा निकोबार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधित) नियम, 2018.

संख्या 392/2018.— अण्डमान तथा निकोबार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड विनियमन, 1988 के खंड 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड नियम, 2001 में अधिसूचित और दिनांक 5 दिसम्बर, 2001 के अधिसूचना संख्या 219/2001/एफ, दिनांक 11.09.2003 के अधिसूचना संख्या 166/2003 एवं दिनांक 27.08.2013 के अधिसूचना संख्या 196/2013 में प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधित) नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

1. <u>संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार</u> :–
   i. इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधित) नियम, 2018 कहा जाएगा।
   ii. इस नियम का विस्तार अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सम्पूर्ण केन्द्र शासित प्रदेश क्षेत्र में होगा।
   iii. यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
2. अण्डमान तथा निकोबार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधित) नियम, 2013 दिनांक 11.09.2003 के नियम 16 की धारा (ए) को इस प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–
   (क) विनियमन के तहत बोर्ड के संचालन हेतु आवश्यक राशि मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन प्रत्येक वित्त वर्ष अपने विचार से भुगतान करेगी।
3. अण्डमान तथा निकोबार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधित) नियम, 2003 दिनांक 11.09.2003 के नियम 17 के खंड (i) को इस प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–
   क) मुख्य सचिव बोर्ड से प्राप्त आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय संबंधि आवेदनों के आधार पर वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम के नियम 20 के तहत प्रशासक द्वारा अनुमोदित बजट के आधार पर त्रैमासिक अनुसार अण्डमान तथा निकोबार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान सहायता प्रदान करेगी। आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय का विवरण आवेदन के साथ अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को जमा करना होगा।
4. प्रधान नियम के नियम 17 के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अण्डमान तथा निकोबार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की पुनर्विलोकन :–
   1. गतिविधि के आकार और प्रकृति के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष में अण्डमान तथा निकोबार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की आंतरिक एवं बाह्य समतुल्य समीक्षा के लिए एक प्रणाली स्थापित किया जा सकेगा । ऐसी समीक्षा से अन्य बातों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकेगा। जो कि,
      क) अण्डमान तथा निकोबार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए किया गया, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो चुकी है या हो रही है ।

ख) क्या इन गतिविधियों को भी जारी रखा जाएगा अथवा वे अब प्रासंगिक नही है या पूर्ण हो चुके है या उन उद्देश्यों की उपलब्धि में पर्याप्त विफलता प्राप्त हुई।

ग) जबकि क्या गतिविधियों की प्रकृति ऐसी है कि इन्हे केवल अण्डमान तथा निकोबार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ही संचालित किया जाना है।

घ) जबकि क्या इसी तरह के कार्य को अन्य संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है चाहे वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा निजी क्षेत्र के हों और यदि ऐसा है, तो क्या समीक्षा के तहत संगठनात्मक विलय या विघटन करने का दायरा है।

ड.) जबकि क्या कुल कर्मचारियों की संख्या निर्धारण में सहायता स्तर पर न्यूनतम रखा गया है, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी व संचार सुविधाओं की विशालतम कार्य, साथ ही साथ बाह्य श्रोत से ठेका आधार पर लिया गया तथा क्या गैर वैज्ञानिक व गैर तकनीकि कार्मिक द्वारा किए जाने वाले कार्य में वैज्ञानिक तथा तकनीकि कर्मियों को लिया गया इत्यादि।

च) क्या प्रायोजित परियोजना में उपभोक्ता प्रभार जिसमें अतिरिक्त/संस्थागत प्रभार/प्रबंधन शुल्क जहां उत्पादन अथवा सेवा का लाभ अन्य के द्वारा उद्ग्रहित किया जा रहा हो।

छ) संस्था द्वारा आंतरिक संसाधनों को अधिक पैदा करने के गुंजाइश से सरकारी बजट पर निर्भर को कम किया जा सकेगा।

पुनर्विलोकन का जांच किया जाएगा एवं माननीय उप राज्यपाल के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । साथ ही साथ अनुदान की विमुक्ति प्रतिबंधी होगी एवं संचालन तथा निर्णय पुनर्विलोकन करने पर होगा।

एडमिरल डी. के. जोशी
पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वाई.एस.एम., एन.एम., वी.एस.एम.(सेवानिवृत्त)
उप राज्यपाल (प्रशासक),
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
(अजित आनन्द)
उद्योग निदेशक
सदस्य सचिव, अ.नि.द्वी.ख.ग्रा.उ.बो

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 19th November, 2018.

ANDAMAN AND NICOBAR KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD (AMENDMENT) RULE 2018

No. 392/2018.— In exercise of power conferred under Section 38 of the Andaman and Nicobar Islands Khadi and Village Industries Board Regulation, 1988; the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby makes the following Amendments in the Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board Rules, 2001 notified in Andaman and Nicobar Gazette vide Notification No. 219/2001/F/dated 5th December, 2001, Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board (Amendment) Rules, 2003 published vide Notification No.166/2003, dated 11.09.2003 and Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board(Amendment) Rules, 2013 published vide Notification No.196/2013, dated 27.08.2013 namely :-

1. SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND EXTENT :-

i. These rules may be called as the Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board (Amendment) Rules, 2018.

ii. It extends to the whole of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

iii. It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. The clause (a) of Rule 16 of the Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board (Amendment) Rules, 2003 dated 11.09.2003 is substituted as under :-

(a) **"The Chief Secretary, A & N Administration** may pay to the Board in each financial year, grant of such sum of money as he may consider necessary for its functioning as required under the Regulation."

3. The clause (i) of Rules 17 of the Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board (Amendment) Rules, 2003 dated 11.09.2003 is substituted as under :-

i) **The Chief Secretary, A & N Administration** will sanction Grant-in-Aid to Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board on quarterly basis on the basis of budget as approved by the Administrator, as provided under Rule 20 of the Delegation of Financial Powers Rule on the basis of application received from the Board in respect of recurring/ non-recurring expenditure. The Details of recurring and non-recurring expenditure may be submitted to the A&N Administration alongwith application.

4. After Rule 17 of the principal Rules, the following shall be added as :-

18. Peer review of Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board :-

(i) A system may be put into place for external and internal peer review of Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board every Five (5) years depending on the size and nature of activity. Such a review will focus inter-alia on :-

(a) The Objective for which the Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board was set up and whether these objectives have been or are being achieved ;

(b) Whether the activities should be continued at all, either because they are no longer relevant or have been completed or if there has been a substantial failure in achievement of objectives.

(c) Whether the nature of the activities in such that these need to be performed only by Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board.

(d) Whether similar functions are also being undertaken by other organizations, be it in the Central Government or State Governments or the Private Sector, and if so, whether there is scope for merging or winding up the organization under review.

(e) Whether the total staff complement, particularly at the support level, is kept at a minimum: whether the enormous strides in information technology and communication facilities as also facilities for outsourcing of work on a contract basis, have been taken into account in determining staff strength; and whether scientific or technical personnel are being deployed on functions which could well be carriedout by non-scientific or non-technical personnel, etc.

(f) Whether user charges including overhead/ institutional charges/ management fee in respect of sponsored projects, wherever the output or benefit of services are utilized by others, are levied at appropriate rates.

(g) The scope for maximizing internal resources generation in the organization so that the dependence upon Government budgetary support is minimized.

The peer review would be examined and put up for the decision of Hon'ble Lt. Governor. Further, release of grant would be conditional and conduct and decisions on the findings of such peer review.

Admiral D.K. Joshi
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lt. Governor (Administrator),
Andaman & Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd./-
(Ajit Anand)
Director of Industries &
Member Secretary, ANIKVIB

MGPPB—398/Gazette/2018 — 25 Copies. (SB-HCL-XII)